# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

| तारीख | 228/2017 रामादेवी \| तारादेवी<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 03/4/18 | अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित।<br>अधिवक्ता ने इस 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से सम्बन्धित मूल वाद सं. 175/12 की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस अपील से सम्बन्धित मूल वाद को अदम हाजरी व अदम पैरवी मे खारिज करमा दिया गया है एवं उक्त अधिनस्थ न्यायालय का आदेश आज भी प्रभावी है इसलिये यह अपील अब सारहीन हो गई है, अत: खारिज फरमाई जावे।<br>चूंकी इस 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से सम्बन्धित मूल वाद को ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज करमा दिया गया है जिससे यह अपील अब सारहीन हो गई है। अत: अपील अपीलार्थी सारहीन हो जाने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। | |